

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—चैत्र 12, शक 1938

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

शुद्धिपत्र

क्र. एफ 1-59-2003-बयालीस-(1).—मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 7 सितम्बर, 2013 की अनुसूची-चार (नियम 8 देखें) के क्रम-24 में व्याख्याता वीडियो उत्पादन (गैर-तकनीकी) की शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अनुभव के अंग्रेजी पाठ में निम्नांकित संशोधन इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से माने जाएंगे :—

संशोधन

पृष्ठ संख्या/विवरण	के स्थान पर	पढ़ा जाएँ
पृष्ठ क्रमांक-814 (99) के कॉलम-5 में वर्णित व्याख्याता वीडियो प्रोडक्शन (गैर-तकनीकी) की शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अनुभव के बिन्दु क्रमांक-1 की पंक्ति क्रमांक-13 में	and	OR

CORRIGENDUM

No. F 1-59-2003-XLII-(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Madhya Pradesh Society Registrickaran Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government, hereby makes the Correction in the English text and shall be considered by the following amendment in the qualification and experience of lecturer Video Production (Non-Technical) published in the serial no. 24 of Schedule 4 (See Rule 8) of Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) dated 07 September 2013:—

AMENDMENT

Page No./Discription	In Place of	Read as
Essential Qualification and experience of lecturer Video Production (Non-Technical) described in Col. no. 5, line no. 13 under point no. (1) on page no. 814 (99).	and	OR

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार, अपर सचिव.